

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:एफ.4(ई)एन-1834 / 2013 / लिंक.नं.10659 / अलेसे-III / 624

दिनांक 26/03/2018

कार्यालय आदेश

सुश्री नीतिका खण्डेलवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, अजमेर जोन अजमेर ने अपने आवेदन अनुसार माह मार्च 2018 में दिनांक 27.03.2018 से 31.03.2018 तक निजी कारणों से मलेशिया जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी ।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन / फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगी ।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी ।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार काव्यवसाय / विदेशसेवा गृहण नहीं करेगी ।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी ।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी ।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा ।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी ।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगी ।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ.4(ई)एन-1834 / 2013 / लिंक.नं.10659 / अलेसे-III / 624

दिनांक 26/03/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, अजमेर जोन अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 06.03.2018 के क्रम में ।
2. सुश्री नीतिका खण्डेलवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, अजमेर जोन अजमेर ।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)